(upto Sept. '88) is 41964 tonnes, valued at Rs. 276.92 crores, as against the target of 104500 tonnes, valued at Rs. 580 crores for 1988-89.

(d) and (e) The major bottleneck in achieving higher export performance is the lack of sufficient raw shrimp and other fish. The steps being taken by Government in this regard include promotion of shrimp farming for augmenting production of cultured shrimps, setting up of shrimp hatcheries and seed banks and promotion of value-added items like IQF (individually Quick Frozen) Shrimps, subsid assistance to exporters/sea food procensing industry augmenting the fishing fleet, and efforts to reduce duty on import of machinery/prawn feed used by the sea food industry.

दिल्ली में मकानों की मरम्मत/निर्माण के लिए बैंक ऋण

893. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंक उन लोगों को मकान की मरम्मत/निर्माण के लिए ऋण नहीं देते, जिनके पास अपने मकान के सम्बन्ध में अपने नाम पर न्यायालय का मुख्तियार नामा है जबकि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के 80 प्रतिशत निवासियों के पास ऐसा मुख्तियार नामा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में उन लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, जिनके पास उनके नाम पर अपने मकान के मुख्तियारनामा हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "नहीं" हो, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस्तुवः फेलेरियो) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गृह-निर्माण कार्यों का वित्तपोषण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता, प्रतिभूति, प्रमात्रा, मार्जिन, ब्याज की दर, अदायगी की अवधि आदि शामिल हैं। चूंकि ऐसे ऋणों के लिए मुख्य प्रतिभूति संपत्ति का बंधक किया जाना है इसलिये बंधक की जाने वाली सम्पत्ति के वैस्ते जब तक निर्बाध बिक्री योग्य हक नहीं मिलता है बैंक ऋणकर्ताओं के पक्ष में मुख्तियारनामे के आधार पर वित्त-पोषण नहीं करते हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने, हाल ही में, गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कुछ रियायतों की घोषणा की है जिनके अन्तर्गत, यदि मार्जिन अथवा सरकारी गारन्टी उपलब्ध नहीं है तो बैंक स्व-विवेक से जीवन बीमा पालिसियों, सहकारी बचत-बंधों, शेयरों तथा डिबेन्चरों, स्वर्ण आभूषणों, अथवा इस प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों को जिन्हें वे उचित समझते हों, स्वीकार कर सकते हैं।

लम्बे रेशे वाली तथा छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन का लक्ष्य

894. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष लम्बे रेशे वाली तथा छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य कितना-कितना है ;

(ख) भारतीय कपास निगम द्वारा राज्यवार कितने खरीद केन्द्र खोले गए हैं और यदि अभी तक ये केन्द्र नहीं खोले गये हैं, तो ये कब तक खोले जाएंगे; और

(ग) कपास के आयात-निर्यात के संबंध में विभिन्न कपास उत्पादक संघों और कपड़ा मिलों के संगठनों ने क्या-क्या मांगें रखी हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम): (क) सरकार